

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 11-5-18

फैसल दि0 11-5-18

श्री लालजी, देवीलाल मिंगेजी अनवान
बनाम भूमिधारी तहसीलदार
(वादी) पट्टेदार पाडवा
(प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री लालजी कंगेश मिंगेजी कट्टेदार ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा पाडवा के खाता नम्बर 1145 जमाबन्दी सं0 2013-76

में अंकित स्वयं/पिता का नाम लालजी, देवीलाल मिंगेजी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर


रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम लालजी
देवीलाल पिता मिंगेजी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम लालजी, देवीलाल
पिता मिंगेजी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम लालजी, देवीलाल पिता मिंगेजी
पट्टेदार पाडवा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दरतावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/मल्लियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा पाडवा की जमाबन्दी संवत 2013-76 के
खाता संख्या 1145 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

लालजी, देवीलाल पिता मिंगेजी में संशोधन कर सही नाम लालजी, देवीलाल मिंगेजी
दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा